कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
(डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय)

संख्या......76......../डॉ0आर0पी0सी0ए0यू0 पूसा दिनांक 15 सितम्बर,2017

अध्यादेश
(क्रमांक 03/2017)

चूंकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विद्वत परिषद् की दिनांक 08.07.2017 को समपन्न पहली बैठक की अनुशंसा एवं प्रबंध परिषद की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं0 एफ0सं0 5-50/2017/सी0ए0यू दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में छात्रों के शिक्षा एवं परीक्षा के माध्यम से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है ।

अतः अब डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 28 की उप धारा (1) के उप-बंध (c) में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा यह अधिसूचित करता हूँ कि डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में सभी स्नातक/स्नातकोत्तर एवं डॉकटरल पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी ।

(आर0 सी0 श्रीवास्तव)
कुलपति

ज्ञाप सं0......435......./डॉ0आर0पी0सी0ए0यू0 पूसा दिनांक 15 सितम्बर,2017

प्रतिलिपि अधिष्ठाता/निदेशक/उप कुलसचिव/नियंत्रक/ महाविद्यालय के अधिष्ठाता/अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, डा0 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव

ज्ञाप सं0......435......./डॉ0आर0पी0सी0ए0यू0 पूसा दिनांक 15 सितम्बर,2017

प्रतिलिपि उप सचिव (स्थापना)/ अवर सचिव, कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि विभाग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

कुलसचिव

ज्ञाप सं0......435......./डॉ0आर0पी0सी0ए0यू0 पूसा दिनांक 15 सितम्बर,2017

प्रतिलिपि डॉ0 एस0 के जैन, प्रभारी पदाधिकारी, एरीस सेल को विश्वविद्यालय के वेभ साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कुलसचिव